भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1986
(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीएवाई-एनआरएलएम की विशेषताएं

1986. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना , राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दादरा और नगर हवेली सहित उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल की गई महिलाओं की संख्या का राज्य-वार, विशेषकर दादरा और नगर हवेली में, ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने स्व-सहायता समूहों और डीएवाई-एनआरएलएम की महिलाओं के लिए ग्रीन मोबिलिटी को सुगम बनाने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ किसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो दादरा और नगर हवेली सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क): दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) भारत सरकार का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और गरीबों की

आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। मिशन चार प्रमुख विशेषताओं में अर्थात (क) ग्रामीण गरीबों के स्व-प्रबंधित और वित्तीय रूप से सतत सामुदायिक संस्थानों की सामाजिक एकजुटता , संवर्धन और सुदृढ़ीकरण; (ख) ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन ; (ग) सतत आजीविका ; और (घ) सामाजिक समावेश , सामाजिक विकास और अभिसरण निवेश के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने पर लक्षित है।

इन विशेषताओं के माध्यम से , यह कार्यक्रम क्षमता निर्माण , वित्तीय समावेशन और सामाजिक सशक्तिकरण द्वारा स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देकर ग्रामीण आबादी , विशेष रूप से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना चाहता है। यह ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से जीवंत इकाइयों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(ख): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दादरा और नगर हवेली सहित उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत/आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध -I** में दिया गया है

(ग): डीएवाई-एनआरएलएम योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल महिलाओं की संख्या का दादरा और नगर हवेली सहित राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध -II** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): जी नहीं।

(च): डीएवाई एनआरएलएम में संतृप्तिबोध दृष्टिकोण अपनाया गया है जहां सभी पात्र गरीब परिवारों को एसएचजी के दायरे में लाने , उन्हें ऋण प्राप्त करने की सुविधा से जोड़ने और विविध एवं सतत आजीविका को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाते हैं। सामाजिक समावेश उन प्रमुख ध्यानाकर्षण क्षेत्रों में से एक है जहां दिव्यांगों , ट्रांसजेंडरों और निर्धनतम समुदायों सहित सबसे कमजोर आबादी को डीएवाई एनआरएलएम के तहत संगठित किया जाता है।

आर्थिक सशक्तिकरण के अलावा, जमीनी स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के मुद्दों का समाधान करने के प्रयास भी किए गए हैं। इसमें भोजन , पोषण, स्वास्थ्य, वाश और जेंडर संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये सामाजिक और व्यावहारिक परिवर्तन संचार रणनीतियाँ शामिल हैं। एसएचजी और उनके संघों का पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के साथ अभिसरण करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि इन गरीब परिवारों की अधिकारों और हकदारियों तक पहुंच हो और ये विकेन्द्रीकृत आयोजना प्रक्रिया का एक भाग बन सके।

****

अनुबंध-I

डीएवाई-एनआरएलएम की विशेषताओं के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1986 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्यवार आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि रु. करोड़ में				
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय आवंटन	जारी केंद्रीय राशि	उपयोग*
1	आंध्र प्रदेश	251.67	125.83	144.67
2	बिहार	1,026.33	1,026.33	1,496.45
3	छत्तीसगढ़	227.95	227.95	298.59
4	गोवा	7.00	3.50	7.02
5	गुजरात	162.40	120.68	192.86
6	हरियाणा	95.54	23.89	64.87
7	हिमाचल प्रदेश	40.24	40.24	43.21
8	जम्मू और कश्मीर	146.69	110.02	137.97
9	झारखंड	386.99	386.99	542.40
10	कर्नाटक	325.79	244.34	396.75
11	केरल	146.18	73.09	138.48
12	मध्य प्रदेश	488.34	244.17	384.87
13	महाराष्ट्र	516.19	258.09	271.48
14	ओडिशा	493.47	616.84	811.42
15	पंजाब	46.43	23.22	30.87
16	राजस्थान	247.38	247.38	326.56
17	तमिलनाडु	381.48	381.48	544.03
18	तेलंगाना	179.76	44.94	115.38
19	उत्तर प्रदेश	1,477.58	1,475.66	2,105.34
20	उत्तराखंड	77.80	76.21	63.13
21	पश्चिम बंगाल	548.39	411.29	559.51
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.00	4.50	3.58
23	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	4.00	1.00	2.23
24	लक्षद्वीप	2.00	1.00	0.66
25	लद्दाख	13.20	3.30	2.26
26	पुदुचेरी	10.00	5.00	5.10

27	अरुणाचल प्रदेश	82.89	41.45	57.85
28	असम	342.99	342.99	289.68
29	मणिपुर	102.74	25.68	35.78
30	मेघालय	143.75	71.88	106.12
31	मिजोरम	105.41	26.35	64.98
32	नागालैंड	171.18	42.80	83.91
33	सिक्किम	44.32	10.80	14.93
34	त्रिपुरा	173.64	86.82	192.00
	कुल	**8,475.72**	**6,825.72**	**9,534.91**

*उपयोग में राज्य का अंश और पिछले वर्ष की व्यय न की गई शेष राशि शामिल है

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवार आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि

रु. करोड़ में

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**केंद्रीय आवंटन**	**जारी केंद्रीय राशि**	**उपयोग***
1	आंध्र प्रदेश	251.73	188.80	467.53
2	बिहार	1,026.58	1,283.23	2,166.72
3	छत्तीसगढ	228.01	171.01	295.38
4	गोवा	7.50	7.50	12.72
5	गुजरात	162.44	121.83	196.76
6	हरियाणा	95.57	47.78	67.44
7	हिमाचल प्रदेश	40.25	40.25	45.70
8	जम्मू और कश्मीर	180.17	127.84	141.94
9	झारखंड	387.08	387.08	693.38
10	कर्नाटक	325.87	244.40	444.79
11	केरल	146.22	109.66	148.14
12	मध्य प्रदेश	488.46	488.46	585.76
13	महाराष्ट्र	644.01	483.01	763.24
14	ओडिशा	493.59	616.99	1,006.44
15	पंजाब	46.44	34.83	56.35
16	राजस्थान	247.45	340.24	500.95
17	तमिलनाडु	381.57	381.57	834.62
18	तेलंगाना	179.81	44.95	81.71
19	उत्तर प्रदेश	1,477.94	1,108.45	1,829.21
20	उत्तराखंड	77.81	106.99	99.90

21	पश्चिम बंगाल	548.53	548.53	779.72
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.00	4.50	4.25
23	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	6.00	3.00	2.53
24	लक्षद्वीप	2.39	1.19	1.15
25	लद्दाख	13.19	6.60	3.43
26	पुदुचेरी	17.00	12.75	13.46
27	अरुणाचल प्रदेश	132.26	99.19	91.00
28	असम	381.36	381.36	456.30
29	मणिपुर	125.38	31.35	27.30
30	मेघालय	169.28	169.28	154.25
31	मिजोरम	156.72	39.18	54.64
32	नागालैंड	177.94	88.97	82.10
33	सिक्किम	66.49	16.62	20.32
34	त्रिपुरा	241.62	120.81	173.31
	कुल	**8,935.66**	**7,858.21**	**12,302.45**

*उपयोग में राज्य का अंश और पिछले वर्ष की व्यय न की गई शेष राशि शामिल है

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्यवार आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि

रु. करोड़ में

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**केंद्रीय आवंटन**	**जारी केंद्रीय राशि**	**उपयोगिता***
1	आंध्र प्रदेश	251.73	62.94	173.00
2	बिहार	1,026.58	1,411.55	2,028.41
3	छत्तीसगढ	228.01	295.81	386.57
4	गोवा	7.50	7.50	12.93
5	गुजरात	162.44	162.44	250.25
6	हरियाणा	95.57	47.78	56.87
7	हिमाचल प्रदेश	40.25	55.34	56.58
8	जम्मू और कश्मीर	180.00	180.00	171.00
9	झारखंड	387.08	387.08	667.49
10	कर्नाटक	325.87	325.87	556.73
11	केरल	146.22	109.66	222.40
12	मध्य प्रदेश	488.46	244.23	613.58
13	महाराष्ट्र	644.17	885.73	1,294.08
14	ओडिशा	493.59	678.69	888.67

15	पंजाब	46.44	42.54	66.23
16	राजस्थान	247.45	247.45	543.44
17	तमिलनाडु	381.57	286.18	509.61
18	तेलंगाना	179.81	0.00	77.14
19	उत्तर प्रदेश	1,477.94	1,477.94	2,297.81
20	उत्तराखंड	77.81	106.99	135.36
21	पश्चिम बंगाल	548.53	657.16	1,038.02
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.00	6.00	5.59
23	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	4.50	3.38	2.30
24	लक्षद्वीप	3.00	1.50	7.18
25	लद्दाख	10.00	10.00	1.13
26	पुदुचेरी	17.00	17.00	14.67
27	अरुणाचल प्रदेश	127.76	127.76	130.21
28	असम	398.43	398.43	468.63
29	मणिपुर	105.23	52.62	62.70
30	मेघालय	199.76	274.67	121.35
31	मिजोरम	163.96	63.87	72.46
32	नागालैंड	164.28	123.21	94.60
33	सिक्किम	73.32	18.33	15.92
34	त्रिपुरा	305.35	305.35	316.56
	कुल	**9,015.60**	**9,074.99**	**13,359.44**

*उपयोग में राज्य का अंश और पिछले वर्ष की व्यय न की गई शेष राशि शामिल है

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 28 फरवरी 2025 तक आवंटित, जारी और उपयोग की गई राज्यवार निधि

रु. करोड़ में

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**केंद्रीय आवंटन**	**जारी केंद्रीय राशि**	**उपयोग***
1	आंध्र प्रदेश	307.69	153.84	147.08
2	तेलंगाना	219.78	0.00	12.05
3	बिहार	1,254.78	1,254.78	1,824.54
4	छत्तीसगढ़	278.69	139.35	357.89
5	गोवा	9.00	9.00	12.59
6	गुजरात	198.55	198.55	274.70
7	हरियाणा	116.81	29.20	45.89

8	हिमाचल प्रदेश	49.19	49.19	54.63
9	जम्मू और कश्मीर	60.79	30.39	74.37
10	झारखंड	473.13	354.84	478.10
11	कर्नाटक	398.31	99.58	338.98
12	केरल	178.72	89.36	175.62
13	मध्य प्रदेश	597.04	298.52	428.95
14	महाराष्ट्र	787.36	393.68	1,084.68
15	ओडिशा	603.31	150.82	658.15
16	पंजाब	56.77	28.38	59.11
17	राजस्थान	302.45	302.45	405.80
18	तमिलनाडु	466.39	233.20	558.39
19	उत्तर प्रदेश	1,806.47	903.23	1,680.91
20	उत्तराखंड	95.11	95.11	107.36
21	पश्चिम बंगाल	670.46	670.46	1,092.73
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.00	1.75	3.50
23	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	5.50	2.75	2.85
24	लक्षद्वीप	3.50	0.88	0.57
25	लद्दाख	7.50	3.75	5.56
26	पुदुचेरी	20.00	10.00	13.58
27	अरुणाचल प्रदेश	79.56	39.78	90.17
28	असम	406.88	305.16	406.04
29	मणिपुर	138.58	34.65	65.55
30	मेघालय	155.26	155.26	183.28
31	मिजोरम	35.93	8.98	50.79
32	नागालैंड	106.50	53.25	124.27
33	सिक्किम	39.78	9.94	8.12
34	त्रिपुरा	250.22	125.11	201.06
	कुल योग	**10,187.00**	**6,235.19**	**11,027.84**

*उपयोग में राज्य का अंश और पिछले वर्ष की व्यय न की गई शेष राशि शामिल है

अनुबंध-II

डीएवाई-एनआरएलएम की विशेषताओं के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1986 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

डीएवाई-एनआरएलएम योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल महिलाओं की संख्या का दादरा और नगर हवेली सहित राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वयं सहायता समूहों में संगठित की गई महिलाओं की संख्या (28 फरवरी 2025 तक)
1	आंध्र प्रदेश	90,75,289
2	असम	41,11,020
3	बिहार	1,27,13,428
4	छत्तीसगढ़	30,68,427
5	गुजरात	27,83,006
6	झारखंड	35,89,607
7	कर्नाटक	42,07,374
8	केरल	40,02,478
9	मध्य प्रदेश	58,29,972
10	महाराष्ट्र	65,25,549
11	ओडिशा	57,75,035
12	राजस्थान	38,04,161
13	तमिलनाडु	40,23,939
14	तेलंगाना	48,20,573
15	उत्तर प्रदेश	95,09,884
16	पश्चिम बंगाल	1,22,51,533
17	हरियाणा	6,29,094
18	हिमाचल प्रदेश	3,78,542
19	जम्मू एवं कश्मीर	7,97,805
20	पंजाब	5,43,246
21	उत्तराखंड	4,97,777
22	अरूणाचल	93,308
23	मणिपुर	1,18,734
24	मेघालय	4,44,264
25	मिजोरम	85,934

26	नागालैंड	1,35,261
27	सिक्किम	56,675
28	त्रिपुरा	4,94,675
29	अंडमान और नोकोबार द्वीप समूह	13,194
30	गोवा	50,735
31	लद्दाख	12,618
32	लक्षद्वीप	4,363
33	पुदुचेरी	59,714
34	दमन और दीव दादरा तथा नगर हवेली	16,782
	कुल	**10,05,23,996**

*****